संलग्नक- १

संख्या-2305 /38-3-2001-500(१)/१० टी०सी०

प्रेषक,

हरीश चन्द्र,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1— समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2— समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–3

लखनऊ::दिनांक:: 5 जुलाई, 2001

विषय– विधायक निधि के अन्तर्गत कार्यदायी संस्थाओं को धनराशि अवमुक्त करने एवं अनुश्रवण करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधायक निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्त के विभिन्न प्रस्तरों में परियोजनाओं की स्वीकृति (प्रशासनिक एवं तकनीकी), धन के आवंटन तथा स्थलीय सत्यापन एवं अनुश्रवण का प्राविधान किया गया है, किन्तु जनपदों एवं अन्य श्रोत्रों से यह बात शासन के संज्ञान में आई है कि मार्गदर्शी सिद्धान्त में दिये गये निर्देशों का अनुपालन उचित ढंग से नहीं किया जा रहा है। इससे विधायक निधि के अन्तर्गत मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रगति यथोचित रुप में नहीं हो रही है। अतः परियोजनाओं की स्वीकृति एवं अनुश्रवण के संबंध में पुनः स्पष्ट करते हुये निम्न आदेश दिये जाते है।

(1) परियोजनाओं की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति देने के पूर्व मुख्य विकास अधिकारी द्वारा मार्गदर्शी सिद्धान्त के प्रस्तर 3.1 में दिये गये निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए जनपद स्तर पर तकनीकी विभागों की एक कमेटी गठित कर ली जाये जो आवश्यकतानुसार परियोजनाओं के प्राकलन का परीक्षण एवं स्थलीय सत्यापन करें।

(2) कुछ विशेष परियोजनाओं के निर्माण यथा–विद्यालय भवनों, सार्वजनिक शौचालयों एवं स्नान गृहों, आदिवासी क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय, सार्वजनिक परिवहन यात्रियों के बस पड़ाव/शेडों का निर्माण, पशु चिकित्सा केन्द्र, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र और प्रजनन केन्द्र, बरात घर, चौपाल/रैन बसेरे का निर्माण, वृद्धों अथवा विकलागों के लिए सामान्य आश्रम गृह, कार्यरत राजकीय एलोपैथिक/ आयुर्वेदिक चिकित्सालय के अनावासीय भवनों आदि के लिए जनपद स्तर पर एक मण्डल प्राक्कलन तैयार कर उसके अनुरुप कार्य किया जाय।

(3) परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कार्यदायी संस्थाओं के चयन पर विशेष ध्यान एवं सावधानी की आवश्यकता है। किसी भी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए परियोजना की प्रकृति, उसकी लागत, उसकी तकनीकी आवश्यकता एवं समय की मांग को देखते हुए ही कार्यदायी संस्था का चयन किया जाय। जिन संस्थाओं के पास तकनीकी क्षमता की कमी है, उन्हें वहीं परियोजना कार्यान्वयन के लिए दी जाय जिनमें तकनीकी आवश्यकता नहीं के बराबर हो। यद्यपि कार्यदायी संस्थाओं के चयन का दायित्व मुख्य विकास अधिकारी का है, परन्तु परियोजनाओं की

सफलता के लिए मुख्य विकास अधिकारी जिले स्तर पर गठित टीम से भी परामर्श प्राप्त कर सकते है, जो तकनीकी परामर्श समय–समय पर उन्हें प्रदान किया करेंगी।

(4) जनपद पर प्रभावी अनुश्रवण एवं स्थलीय सत्यापन विशेष कर बड़ी परियोजनाओं के स्थलीय सत्यापन के लिए प्रस्तर 5.1 के अनुसार मुख्य विकास अधिकारी प्रति माह स्वयं कम से कम 10 प्रतिशत कार्यों का स्थलीय सत्यापन किया करें।

(5) प्रत्येक बड़े कार्यों की सूची कार्यदायी संस्थावार आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं शासन को भौतिक एवं वित्तीय विवरण सहित प्रगति रिपोर्ट के साथ अलग से प्रति माह भेजना सुनिश्चित किया जाय।

(6) विधायक निधि के अन्तर्गत किये जा रहे निर्माण कार्यों से संबंधित कार्यदायी संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा नियमित रुप से उक्त निर्माण कार्यों में निर्धारित प्रकियाओं एवं विशिष्टियों के अनुसार प्रगति सुनिश्चित करने हेतु क्षेत्रों का भ्रमण सुनिश्चित किया जाय। भ्रमण के पश्चात संबंधित जनपदों के मुख्य विकास अधिकारियों के साथ इस संबंध में विचार–विमर्श भी किया जाय। मुख्य विकास अधिकारी कार्यान्वयन अभिकरणों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण आख्या की सूचना आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(7) अनुश्रवण कार्यों को और अधिक लाभप्रद बनाने के लिए मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा स्थलीय सत्यापन में मा0 विधायक गण को भी सम्मिलित किया जाय।

(8) परियोजनाओं के सघन अनुश्रवण के लिए उप क्षेत्रीय तथा खण्ड स्तर पर जनपदीय अधिकारियों को भी कम से कम 10 प्रतिशत कार्यों के स्थलीय सत्यापन हेतु निर्देशित किया जाय।

(9) प्रत्येक स्तर पर विधायक निधि से संबंधित कार्यों का स्थलीय सत्यापन की सूचना संलग्न रुप पत्र पर प्रति माह प्रगति विवरण के साथ मुख्य विकास अधिकारी, आयुक्त, ग्राम्य विकास को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, जिसे आयुक्त, ग्राम्य विकास अपने स्तर पर संकलित कर अपनी आख्या सहित संकलित सूचना प्रत्येक माह के 10 तारीख तक शासन को उपलब्ध करायेंगे।

(10) इस योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की प्रगति संबंधी सूचना संबंधित मा0 सदस्य विधान सभा/विधान परिषद को उपलब्ध कराया जाय।

(11) विधायक निधि के कार्यों की समीक्षा के लिए जनपद स्तर पर अभिलेखों के रख–रखाव एवं प्रति माह एक निश्चित तिथि को होने वाली बैठक को और प्रभावी एवं उपयोगी बनाने के लिए उक्त बैठक में पूर्व में ही एजेन्डा बिन्दु तैयार कर बिन्दुवार टिप्पणी पूर्व में ही सभी कार्यदायी संस्थाओं एवं मा0 विधायकगणों को भेज दिया जाय। इस बैठक में परियोजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व होने की सम्भावित तिथि से विचलन होने पर उन कारणों पर विशेष रुप से चर्चा की जाय तथा आवश्यकतानुसार परियोजनाओं की गुणवत्ता को परखने हेतु स्थलीय सत्यापन कराना एवं कार्यदायी संस्था की गुणता/कार्यक्षमता की भी समीक्षा की जाय। मुख्य विकास अधिकारी अपने स्तर से कार्यान्वयन अभिकरणों के प्रमुखों को

मार्गदर्शी सिद्धान्त के प्रस्तर 5.1 एवं इस शासनादेश का उद्धरण देते हुए जनपदों में भ्रमण करने एवं समीक्षात्मक टिप्पणी उन्हें उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध करने का कष्ट करें।

इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाय, तथा किसी भी स्तर पर शिथिलता परिलक्षित होने पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीय,
हरीश चन्द्र
(हरीश चन्द्र)
प्रमुख सचिव।

संख्या–2305 (1)/38–3–2001–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– प्रमुख सचिव, वन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5– प्रमुख सचिव, विद्युत विभाग, उ0प्र0 शासन।
6– सचिव, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7– सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
8– आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
9– प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10– निदेशक/मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा/लघु सिंचाई/पंचायती राज
11– प्रबन्ध निदेशक, जल निगम/यू0पी0 एग्रो, समाज कल्याण निर्माण निगम उ0प्र0 शीत गृह विधायन निर्माण निगम (पैक्सपैड)
12– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
13– समस्त संयुक्त/उप विकास आयुक्त, उ0प्र0।
14– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
15– निजी सचिव, मा0 ग्राम्य विकास मंत्री/मा0 राज्य मंत्री जी, उ0प्र0।
16– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
17– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त।
18– ग्राम्य विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
19– गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(राजीव अग्रवाल)
विशेष सचिव।

नसीम/–

FILE NAME-C:RD3/VN.DOC/MOHD.NASIM/22-05-2001

स्थलीय सत्यापन

जनपद का नाम ..... माह .....

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	भ्रमण की तिथि	परियोजना का नाम जिसका स्थलीय सत्यापन किया गया	कार्यदायी संस्था का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	अवमुक्ति की तिथि	परि. के पूर्ण होने की सं0 तिथि	परियोजना की स्थिति				गुणवत्ता	अन्य विवरण
									प्रगति		भौतिक			
									वित्तीय दर्शायी गई	वास्तविक	दर्शायी गई	वास्तविक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

नोट – 1– भौतिक सत्यापन प्रतिशत में नही दर्शाया जाय बल्कि स्थिति के अनुसार

2– सत्यापन के समय गुणवत्ता मानकों से कम होने पर कार्यदायी संस्था के विरुद्ध की गई कार्यवाही एवं उसके अनुश्रवण के संबंध में उल्लेख